भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3263

दिनांक 24/03/2021/03 चैत्र,1943 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल का आधुनिकीकरण

3263. # श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को क्या सहायता दी जा रही है; और

(ख) सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए क्या पहल की गई है ताकि नक्सल उग्रवादियों को स्थानीय लोगों का समर्थन न मिल सके?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार द्वारा "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता (एएसएमपी)" की स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों द्वारा अपने पुलिस बलों को सुसज्जित करने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में सहयोग प्रदान किया गया है।

उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को नवीनतम हथियार, प्रशिक्षण गैजेट, उन्नत संचार/फॉरेंसिक उपकरण, साइबर पुलिसिंग के उपकरण इत्यादि प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, विद्रोह प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 'निर्माण' और 'ऑपरेशनल वाहनों की खरीद' की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार, उक्त स्कीम के अंतर्गत, अवसंरचना का विकास करने और उपकरण प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य, निधियां प्राप्त करने के लिए अपनी आवश्यकताओं और रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी राज्य कार्य योजनाएं (एसएपी) तैयार करते हैं।

(ख): भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में भी सहायता प्रदान करती रही है। वामपंथी उग्रवाद से पूर्ण रूप से निपटने के लिए वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसमें एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक पहलें, स्थानीय समुदायों के अधिकार और हकदारियां सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं। जहां सुरक्षा की दृष्टि से, केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बटालियनें, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु निधियां, उपकरण एवं हथियार आदि प्रदान करके; आसूचना का आदान-प्रदान करके, किलेबंद पुलिस स्टेशनों का निर्माण आदि करके वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की सहायता करती है, वहीं विकास की दृष्टि से केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, मोबाइल टावरों की स्थापना, बैंकों एवं डाक घरों के नेटवर्क में सुधार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधा के विभिन्न उपाय किए हैं।

सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई/एलडब्ल्यूई) स्कीम, विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) और विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां अनुलग्नक में दी गई हैं।

******

राज्य सभा अता.प्र.सं. 3263 दिनांक 24.03.2021

अनुलग्नक

1. सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई/एलडब्ल्यूई) स्कीम

(करोड़ रु. में)

जारी की गई निधियों की स्थिति				
राज्य	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**
आंध्र प्रदेश	21.04	11.60	37.23	8.96
बिहार	30.63	14.14	17.70	14.23
छत्तीसगढ़	92.75	54.53	120.81	140.61
झारखंड	93.37	64.54	123.52	56.32
केरल	-	2.94	2.83	-
मध्य प्रदेश	2.90	1.94	1.23	0.83
महाराष्ट्र	31.86	13.12	21.11	21.25
ओडिशा	125.82	12.72	12.81	8.80
तेलंगाना	17.22	6.26	16.12	9.00
उत्तर प्रदेश	7.29	7.15	4.45	3.22
पश्चिम बंगाल	22.12	11.07	9.44	3.73
कुल योग	**445.00**	**200.00**	**367.26**	**266.95**

2. विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**राज्य**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**
1	आंध्र प्रदेश	3.00	9.83
2	बिहार	8.00	12.38
3	छत्तीसगढ़	13.00	23.63
4	झारखंड	14.00	24.66
5	केरल	-	0.90
6	मध्य प्रदेश	2.90	0.71
7	महाराष्ट्र	3.00	7.50
8	ओडिशा	6.00	11.61
9	तेलंगाना	3.00	10.12
10.	उत्तर प्रदेश	-	1.35

3. वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)

(करोड़ रु. में)

राज्य	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
आंध्र प्रदेश	5	33.33	20	14.25
बिहार	30	133.33	133.32	80.00
छत्तीसगढ़	40	266.67	266.64	71.25
झारखंड	80	433.33	433.29	199.00
महाराष्ट्र	5	33.33	20	0.00
ओडिशा	10	66.67	66.66	14.25
तेलंगाना	5	33.34	33.33	14.25
कुल	**175**	**1000**	**973.24**	**393.00**

******